न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 57 / 2018 दायरा दिनांक : 06.04.2018

उनवान

रामप्रसाद आत्मज सालगराम जाति खाती निवासी घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज नारायण लाल जाति खाती निवासी घाटोली
2. कैलाशी बाई पत्नी दुर्गीबाई जाति लोधा निवासी घाटोली
3. सुशीला बाई पत्नी नारायण जाति खाती निवासी घाटोली
4. सुरेश
5. सुनिता
6. कविता
7. ज्योति पिता रमेशचंद नाबालिग जर्ये वली माता कैलाशी बाई पत्नी रमेश जाति खाती निवासी घाटोली
8. कैलाशी बाई पत्नी रमेश जाति खाती निवासी घाटोली
9. रूपचंद आत्मज राधाकिशन जाति खाती निवासी घाटोली
10. कैलाश चंद आत्मज राधाकिशन जाति खाती निवासी घाटोली
11. जीतमल आत्मज राधाकिशन जाति खाती निवासी घाटोली
12. गीता बाई पुत्री राधाकिशन पत्नी रामकिशन जाति खाती निवासी झालरापाटन
13. रमेशचंद आत्मज श्यामसुन्दर जाति खाती निवासी घाटोली
14. जीतेन्द्र आत्मज श्यामसुन्दर जाति खाती निवासी घाटोली
15. नन्द कुँवर पुत्री श्यामसुन्दर जाति खाती निवासी घाटोली
16. कंचन बाई बेवा श्यामसुन्दर जाति खाती निवासी घाटोली

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

उपस्थित – श्री महेश पाटीदार अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्यामसुन्दर शर्मा–2 अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या –55/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिशयस व परर्वस होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनानयें एवं दानों पक्षों की साक्ष्य लियें बगैर निर्णय जैर अपील पारित किया है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का कोई सूचना नहीं दी गई। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना और विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। पत्रावली में कानूनी प्रकिया अपनाये बगैर राजस्व अभियान के दौरान मात्र औपचारिक निर्णय पारित किये जाने के उद्वेश्य से विधि के प्रावधानों की पूर्ण रू‌प से अवेहलना करतें हुऐ निर्णय जैर अपील एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार की होने से श्रवणीय है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.01.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायायलय के निर्णय दिनांक 18–12–17 में वाद वादीगण डिक्री कर आदेश दिया गया है कि ग्राम घाटोली तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 470 की खसरा नं. 1203 की 0.03 बीघा आराजी की पैमाईश वादी व प्रतिवादी नं. 1 की उपस्थिति में की जावे तथा बाद पैमाईश उक्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 रामप्रसाद का कब्जा पाये जावे तो उसे बेदखल कर कब्जा आराजी वादीगण को संभलाया जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस आदेश की पालना बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। अतः प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प घाटोली में किया गया जिसमें सभी पक्षकारों की उपस्थिति होना आवश्यक थी लेकिन वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में ही लोक अदालत की भावना से फैसला सुनाया गया जो उचित नहीं है, सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2017 अपास्त किया जाता हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का सुमचित अवसर देकर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा